REGISTERED NO. D. (D.N.) 127 रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1987/भाद्र 24, 1909
No. 466] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1987/BHADRA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 776(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 71) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 सितम्बर, 1987 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. एक्स—11014/3/87-डीएमएसएंड पीएफए]

एस.वी. सुब्रामणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section (1) of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, 1986 (71 of 1986) the Central Government hereby appoints the 15th day of September, 1987 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. X-11014/3/87-DMS & PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987